न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः—वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18 / 2019	05.08.2019	29.04.2026

1. रामफूल पुत्र नेनजी गुर्जर निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
2. हरफूल पुत्र नेनजी गुर्जर निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र धनजी जाट निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
2. पप्पु पुत्र धनजी जाट निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
3. नरसी पुत्र मांगीलाल बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
4. लख्खू पुत्र नाथ्या बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
5. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

श्री नागाराम मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री हनुमान प्रसाद चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- यह कि उक्त उनवान वाला वाद पत्र आज ही श्रीमान न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूरी—पूरी उम्मीद है।
- यह कि प्रार्थीगण शान्तप्रिय व्यक्ति है जिनकी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ख० नं० 176 रकबा 3 बीघा, ख० नं0 958 / 177 रकबा 02 बीघा, ख० नं० 1188 / 177 रकबा 2 बीघा वांके ग्राम वीरपुर में स्थित है। जिसको प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काश्त करते चले आ रहे है।
- यह. कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 भी ग्राम वीरपुर के झगड़ालू बदमाश प्रकृति के व्यक्ति है. जो आये दिन गरीब लोगों को परेशान करते रहते है।
- यह कि आराजी खसरा नं0 1188 / 177 व 958 / 177 जिनके मूल नं0 177 है, जो काफी बड़ा रकबा है तथा उक्त नम्बरान के अन्दर तरमीन नहीं हुई है तथा इसी बात का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 अप्रार्थी सं 3 लगायत 4 को साथ में लेकर उनकी आड़ में [illegible] चाहते है।
- यह कि अप्रार्थीगण [illegible] नम्बरान 177 में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 [illegible] आराजीयात को मिलाना चाहते है तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 को इसीलिए साथ में रखते है कि आवश्यकता [illegible] पर प्रार्थीगण के विरूद्ध झुंठा एससी / एसटी एक्ट के मुकदमा दर्ज करवाया [illegible] सकें। यह कि इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिनांक 30.07.2019 को दिन मे करीबन 12.00 बजे अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 हाथों में लाठी, डण्डे लेकर ट्रेक्टर के साथ में प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

आराजीयात खसरा नं० 176 पर आये और आकर मेड़ तोड़ने लग गये तथा प्रार्थीगण के मना करने पर कहने लगे कि इस खेत को तो हमारे खेत में मिलाकर ही रहेगें। तथा साथ ही जो तुम्हारे दूसरे खेत ख०नं० 1188/177 तथा 958/177 को भी हड़पकर रहेगें। इस पर प्रार्थीगण ने हाथ जोडकर कहा कि इस जमीन में तुम्हारा कोई लेना–देना नही है। इस बात पर अप्रार्थीगण नाराज हो गयें तथा कहने लगे कि आज तुमने अपने खेत को बचा लिया तो क्या हुआ। इसको तो हमारे खेतों में मिलाकर ही रहेगें। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार हॉसिल नही है।

- यह कि अब प्रार्थीगण के पास अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए शिवाए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया।
- यह कि अप्रार्थी नं0 5 लैण्ड होल्डार तहसीलदार जी तहसील खण्डार है, जो प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनायें गयें है।
- यह कि प्राइमा फेसाई केस व सुख सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।
- यह कि अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सिद्ध है।
- अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताः फेसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 958/177 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 1188/177 रकबा 2 बीघा वांके ग्राम वीरपुर के कब्जे काश्त में बांधा उत्पन्न ना तो स्वयं करें ना ही अन्य दीगरों से करावें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगणो की ओर से वकालतनामा दावे में पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 256, 1140/166, 1181/172, 979/165, 1129/165, 1130/165, 115/177, 964/177, 1158/177, 1114/163, 831/163, 1117/163, 1093/160 ग्राम वीरपुर में स्थित है, जिस पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण अपनी उक्त जमीनों पर खसरा नम्बर 176 व खसरा नम्बर 958/177, 1188/177 के मध्य में होकर अपनी जमीनो को ट्रेक्टर कल्टीवेटर वगेरा से अपने खेतो की हकाई जुताई कर [illegible] कर ट्रेक्टर ट्राली से साले चले आ रहे हैं।

खसरा नम्बर 177 बहुत बड़ा रकबा है जिसमें 4-5 बीघा सरकारी सिवायचक भूमि है, जिसपर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आड में अतिक्रमण कर अप्रार्थीगण के अपने उक्त खेतो पर आने जाने में व्यवधान पहुंचाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नियमानुसार रुपया पैसा देने के लिये तैयार है अथवा जमीन के बदले जमीन देने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण को खातेदारी की आड में अप्रार्थीगण की उक्त जमीनो पर अप्रार्थीगण को आने जाने में व

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

फसल कास्त करने के लिये अप्रार्थीगण के आवागमन में रुकावट करने का प्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के अलावा जो खसरा नम्बर 177 में स्थित सरकारी जमीन है, उसपर भी प्रार्थीगण ने खातेदारी की आड में अतिक्रमण कर रखा है। तथा खसरा नम्बर 176 व खसरा नम्बर 958 / 177, 1188 / 177 के मध्य में होकर अप्रार्थीगण अपने खेतो पर आते जाते है जिसे अपनी खातेदारी की आड में अतिक्रमण कर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के आवागमन में बाधा पहुंचाना चाहते है, जिसका प्रार्थगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क किया की मूल खसरा 177 की तरमीम नहीं है एवं इसी मूल खसरे में अप्रार्थी की जमीन है। मौके पर प्रार्थीगण की आरजी की मेड़ डली हुई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाये। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हेतु रास्ता प्रार्थीगण कि आरजी से है जिसके लिये धारा 251–क का प्रार्थना पत्र भी न्यायलय उपखंड अधिकारी में प्रस्तुत किया गया जो हमारे पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। रास्ता यदि बंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावा। प्रतिउत्तर में प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया कि धारा 251–क का प्रार्थना पत्र विचाराधीन प्रकरण के बाद प्रस्तुत किया गया है एवं धारा 251–क के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 176, 958 / 177 व 1188 / 177 के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण का कथन है कि वह अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर पहुँच हेतु खसरा नंबर 176, 958 / 177 व 1188 / 177 के मध्य में होकर गुजरते है एवं उक्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम किए जाने हेतु धारा 251–क का प्रार्थना पत्र भी न्यायलय में प्रस्तुत किया गया था जो निर्णित किया जा चुका है । इसके समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संख्या 53 / 22 सूरजमल बनाम रामफूल के प्रार्थना पत्र व निर्णय दिनांक 01.05.2023 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार धारा 251–क के तहत न्यायालय द्वारा 1188 / 177 में से रास्ता कायम करने के आदेश दिए है।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) सत्यमेव जयते

6. पत्रावली में प्रस्तुत जामबंदी संवत् 2072–75 अनुसार प्रार्थीगण खसरा नंबर 176, 958 / 177 व 1188 / 177 के अभिलिखित खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है यदि बिना किसी विधिक कार्यवाही के उन्हें कब्जे से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है। किंतु विधिक प्र[illegible] तहत उनके विरुद्ध यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह [illegible] एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण अन्य आदेशों की [illegible] उचित नहीं होगा। विचाराधीन प्रकरण में विवादित आराजी में से रास्ते हेतु विधिक कार्यवाही होना प्रतीत होता है। मार्गाधिकार अवरुद्ध करने का अधिकार किसी को नहीं है एवं यदि कोई व्यक्ति मार्गाधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

को अवरुद्ध करते है चाहे वो अभिलिखित खातेदार ही क्यों न हो उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। किंतु मार्गाधिकार हेतु सुनवाई का अधिकार धारा 251 के तहत तहसीलदार को प्राप्त है। विचाराधीन प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं बिना किसी विधिक कार्यवाही के कब्जे से बेदखल करने पर अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है इसलिए प्रकरण में सशर्त अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण को बिना किसी विधिक प्रक्रिया या आदेश के खसरा नंबर 176, 958/177 व 1188/177 वाके ग्राम वीरपुर तहसील खण्डार में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 अथवा धारा 251–क के तहत किसी विधिक कार्यवाही पर प्रभावी नहीं होगा एवं उक्त के अन्तर्गत पारित किसी आदेश की पालना को स्थगित नहीं करेगा। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested